

रा.रा. न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प, इन्दौर
के समक्ष

1. सोमजी पिता बोन्दरजी कुलमी,
आयु लगभग 91 वर्ष, धंधा-खेती,

2. मनोज पिता राधेश्यामजी कुलमी
आयु लगभग 40 वर्ष, धंधा-खेती,
निवासी- कुक्षी, तहसील कुक्षी,

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. गोपाल पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 75 वर्ष, धंधा-खेती,

2. पुरुषोत्तम पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 72 वर्ष, धंधा-खेती,

3. शंकर पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 70 वर्ष, धंधा-खेती,

4. गंगाराम पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 67 वर्ष, धंधा-खेती,

5. कैलाश पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 64 वर्ष, धंधा-खेती,

6. सीताराम पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 55 वर्ष, धंधा-खेती,

7. दिनेश पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 50 वर्ष, धंधा-खेती,

8. महेश पिता देवजी कुलमी
आयु लगभग 45 वर्ष, धंधा-खेती,

9. केशरबाई पिता देवजी पति जगदीश कुलमी,
आयु लगभग 50 वर्ष, धंधा-खेती व गृहकार्य नि० हाल मुकाम निसपुर

10. सुमनबाई पिता देवजी कुलमी पति जगदीश कुलमी,
आयु लगभग 46 वर्ष, धंधा-खेती व गृहकार्य
निवासी- कुण्डीया, तहसील बड़वानी

.....विपक्षीगण



R. 2417-PBR/16 धा 2
सोमजी / गोपल

16-8-2016

आवेदकगण के विवेकन आसिमाकक
डाटा ग्राह्यता पर प्रस्तुत रकम पर विचार
किया गया। तदनुसार के आदेश दिनांक
21.6.2016 की सत्य प्रतीति का अवलोकन
किया गया। तदनुसार डाटा आवेदकगण
का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ
निरस्त किया गया है कि आवेदकगण
डाटा भाषण लगाया गया है, जो
सुखा है, और उसे आवेदकगण
ट्रेकर द्वारा ले जा सकते हैं, जिसमें
प्रथम दृष्टया कोई अर्थव्यवस्था
परिवाहीत होने से निगरानी
अग्रहण की जाती है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र., भू-राजस्व संहिता

श्रीमान न्यायालय तहसीलदार, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक रा.प्र.क्रं.04/अ-13/2014-15 में दिनांक 21/06/16 के निगरानीकर्ता के आवेदन को विपक्षीगण के पक्ष में निराकृत किया होने से व्यथित होकर उक्त निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :- आदेश दिनांक 21/06/16 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न अनुलग्नक आर-1,

